

अस्वीकरणः विस्तृत प्रावधानों और विनियमों के लिए, कृपया पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों को देखें।

प्रश्न 1	निकास क्या है?
	निकास से तात्पर्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते का बंद होना है। यह
	निम्नलिखित परिदृश्य में होता है ;
	(क). अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर ;
	(ख). अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व
	(ग). अधिवर्षिता की आयु और 75 वर्ष के बिच किसी भी समय ;
	(घ). अभिदाता की मृत्यु या नियोक्ता के द्वारा अभिदाता लापता घोषित होने पर ; और
	(ङ). निःशक्तता या विकलांगता या समयपूर्व सेवानिवृत्ति होने पर
प्रश्न 2	एनपीएस से निकास की प्रक्रिया क्या है ?
	अभिदाता, विनियमों में बताये गये निकास के प्रयोजन के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से
	निकास, की संभावित तिथि या उससे पूर्व निकास या प्रत्याहरण आवेदन प्रपत्र को सम्बंधित नोडल
	कार्यालय को जमा करे।
	अभिदाता की मृत्यु या नियोक्ता के द्वारा अभिदाता लापता घोषित होने के मामले में, यथानिर्दिष्ट सेवानियमों
	के अनुसार नामिति(यों), कुटुंब के सदस्य(यों) या विधिक वारिसों को मृतक अभिदाता के सम्बंधित नोडल
	कार्यालय को अपेक्षित दस्तावेज़ों के साथ दावा निपटान आवेदन जमा करना होगा।
	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर निकास – सामान्य निकास
Exit upon attaining the age of superannuation – Normal Exit	
प्रश्न 3	निकास करने पर मुझे कौन से लाभ प्राप्त होंगे ?
	वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम ४०% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा।
	हालांकि, अभिदाता के पास वार्षिकी क्रय करने के लिए संचित पेंशन राशि के 40% से अधिक की राशि का
	प्रयोग करने का विकल्प है।
	एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 60% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी।
प्रश्न 4	क्या मैं अपना एकमुश्त प्रत्याहरण आस्थगित कर सकता/सकती हूँ ?
	हाँ, आप एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को आस्थागित कर सकते हैं। ऐसा आस्थगन 75 वर्ष की आयु तक
	किया जा सकता/सकती है।
प्रश्न 5	एकमुश्त राशि के आस्थगन की अवधि के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने के मामले में क्या होगा?
	एकमुश्त राशि के आस्थगन की अवधि के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने के मामले में, अभिदाता की ऐसी
	आस्थगित राशि को अभिदाता के नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों) को भुगतान कर दिया जाएगा।

## अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न एसजी और एसएबी क्षेत्र के लिए एनपीएस से निकास Updated on: 30 August 2022



प्रश्न 6	क्या मैं वार्षिकी के क्रय को आस्थागित कर सकता/सकती हूँ ?
	हाँ, आप वार्षिकी क्रय को आस्थगित कर सकते हैं। यह आस्थगन 75 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है
प्रश्न 7	क्या आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकी क्रय की जा सकती है ?
	हाँ, अभिदाता के पास आस्थगन अवधि के दौरान एनपीएस न्यास या कोई मध्यस्थ इकाई या इस प्रयोजन
	के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी इकाई को अनुरोध करते हुए किसी भी समय वार्षिकी क्रय करने
	का विकल्प है ।
प्रश्न ८	आस्थगन अवधि के दौरान अभिदाता की मृत्यु के मामले में वार्षिकी के क्रय का क्या होगा ?
	यदि अभिदाता की मृत्यु वार्षिकी क्रय करने के लिए बढ़ाई गई तिथि से पूर्व हो जाती है, तो डिफॉल्ट वार्षिकी
	विकल्प का प्रयोग होगा।
प्रश्न 9	क्या मैं एकमुश्त राशि और वार्षिकी के क्रय, दोनों को आस्थगित कर सकता/सकती हूँ ?
	हाँ, एकमुश्त राशि और वार्षिकी के क्रय, दोनों को आस्थगित करा जा सकता है किन्तु एनपीएस के तहत
	लगने वाले खर्च, प्रबंधन शुल्क और देय शुल्क पहले के समान लागू रहेंगे।
प्रश्न 10	एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण और/या वार्षिकी के क्रय को आस्थगित रखने की प्रक्रिया क्या है ?
	अभिदाता एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी को आस्थगित करने के अपने लिखित अनुरोध को अधिवर्षिता
	की आयु प्राप्त करने से 15 दिन पूर्व सीआरए या एनपीएस न्यास को जमा करना होगा।
प्रश्न 11	क्या मैं एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी की आस्थगन अवधि के दौरान निकास कर सकता/सकती हूँ ?
	हाँ, अभिदाता आस्थगन अवधि के दौरान किसी भी समय एनपीएस से निकास कर सकता/सकती है।
प्रश्न 12	क्या मैं वार्षिकीकरण के बिना अपनी सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि निकाल सकता/सकती हूँ ?
	हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि पांच लाख रुपये के बराबर या कम है ।
प्रश्न 13	यदि मैं अपनी सम्पूर्ण संचित राशि निकाल लेता/लेती हूँ, तो क्या मुझे वार्षिकी प्राप्त होगी ?
	नहीं, अभिदाता का एनपीएस या सरकार या नियोक्ता के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार
	समाप्त हो जाएगा।
प्रश्न 14	क्या मैं अधिवर्षिता की आयु या 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति खाते में अंशदान कर सकता/सकती हूँ
	?
	हाँ, अभिदाता के पास, लिखित में प्रदान करने पर, अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में अपने द्वारा निर्धारित
	आयु तक अंशदान करने का विकल्प है, किन्तु यह 75 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में, पेंशन
	सेवानिवृत्ति खाते सरकारी क्षेत्र से सर्व नागरिक क्षेत्र सहित कॉर्पोरेट क्षेत्र में स्थानांतरित करना होगा और
	एनपीएस के तहत लगने वाले खर्च, प्रबंधन शुल्क और देय शुल्क पहले के समान लागू रहेंगे।



प्रश्न 15	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद योजना में जारी रहने की प्रक्रिया क्या है ?
	ऐसे विकल्प का प्रयोग 60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से 15 दिन पूर्व लिखित में सीआरए या
	एनपीएस न्यास को जमा करना होगा।
प्रश्न 16	60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से 15 दिन पूर्व लिखित आवेदन के गैर-प्रस्तुतीकरण के मामले
	में योजना को जारी रखने की क्या प्रक्रिया है ?
	अभिदाता, जिन्होंने 60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के 15 दिन पूर्व लिखित आवेदन प्रदान नहीं
	किया है, किन्तु वह अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहता/ती हैं, तो वह एनपीएस न्यास को
	विलम्ब के कारणों को बताते हुए लिखित में आवेदन भेज सकता/सकती हैं।
	एनपीएस न्यास के अधिकृत अधिकारी, जैसा वह उचित समझें, अभिदाता द्वारा किये गए लिखित आवेदन
	में बताये गए विलम्ब को माफ़ कर सकता हैं।
प्रश्न 17	क्या मैं योजना की जारी/विस्तारित अवधि के दौरान निकास कर सकता/सकती हूँ ?
	हाँ, अभिदाता सीआरए या एनपीएस न्यास को अनुरोध जमा करके किसी भी समय एनपीएस से निकास
	कर सकता/सकती है।
प्रश्न 18	यदि मैं सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के बाद भी अपने टियर-। खाते को जारी रखना चाहता/चाहती हूँ, तो क्या मैं
	विस्तारित अविध के दौरान एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी के आस्थगन को जारी रख सकता/सकती हूँ ?
	नहीं, अधिवर्षिता के बाद योजना में जारी रहने के विकल्प का प्रयोग करने पर, लाभों (एकमुश्त राशि
	और/या वार्षिकी) के आस्थगन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
लागू सेवा	नियमों के अनुसार निःशक्तता या विकलांगता या समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण निकास - सामान्य
	निकास
Exit a	due to invalidation or disability or premature retirement as per applicable
service rules – Normal Exit	
प्रश्न 19	क्या मैं अधिवर्षिता की आयु से पूर्व नि:शक्तता या विकलांगता या समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में निकास
	कर सकता/सकती हूँ ?
	हाँ, यदि नियोक्ता यह प्रमाणित करे कि अभिदाता लागू सेवा नियमों के अनुसार निःशक्तता या विकलांगता
	या समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण सम्बंधित कार्यालय की सेवाओं से मुक्त हो गया है।
प्रश्न 20	निकास करने पर मुझे कौन से लाभ प्राप्त होंगे ?
	अभिदाता को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर एनपीएस से निकास करने पर प्राप्त होने वाले लाभों के
	समान ही लाभ प्राप्त होंगे (प्रश्न 3 से प्रश्न 18 देखें)।



प्रश्न 21	यदि मैं नियोक्ता द्वारा प्रदत्त पेंशन राहत का विकल्प चुनता/चुनती हूँ, तो मेरी संचित पेंशन राशि का क्या	
	होगा ?	
	यदि नियोक्ता सेवा के दौरान नि:शक्तता या विकलांगता होने के मामले में पेंशनरी राहत प्रदान करता है, तो	
	नियोक्ता के पास लागू सेवा नियमों के अनुसार अभिदाता के संचित पेंशन कोष का कुछ भाग या संपूर्ण	
	भाग को अपने पास समायोजित या मांग करने का अधिकार होगा।	
	शेष संचित पेंशन राशि, यदि कोई हो तो, एकमुश्त रूप में अभिदाता को भुगतान किया जाएगा।	
	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व निकास- समयपूर्व निकास	
	Exit before attaining the age of superannuation – Premature Exit	
प्रश्न 22	निकास को समयपूर्व निकास के रूप में कब माना जाएगा ?	
	(क). लागू सेवानियमों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवा छोड़ने करने पर ;	
	(ख). स्वैच्छिक रूप से सेवा से त्यागपत्र देने पर ; और	
	(ग). नियोक्ता द्वारा बर्खास्त या हटाए जाने पर	
प्रश्न 23	निकास करने पर मुझे कौन से लाभ प्राप्त होंगे ?	
	वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 80% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा।	
	एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 20% राशि अभिदाता को भुगतान कर दी जाएगी।	
प्रश्न 24	क्या मैं वार्षिकीकरण के बिना अपनी सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि निकाल सकता हूँ ?	
	हाँ, यदि आपकी संचित पेंशन राशि दो लाख पचास हज़ार रुपये के बराबर या कम है।	
प्रश्न 25	यदि मैं अपनी सम्पूर्ण संचित राशि निकाल लेता/लेती हूँ, तो क्या मुझे वार्षिकी प्राप्त होगी ?	
	नहीं, अभिदाता का एनपीएस या सरकार या नियोक्ता के तहत पेंशन/वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार	
	समाप्त हो जाएगा।	
प्रश्न 26	यदि मेरा संचित पेंशन राशि दो लाख पचास हज़ार रुपयो से ज्यादा है और मेरी आयु सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा	
	प्रदाता से वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम है, तो क्या होगा ?	
	जब तक आप वार्षिकी क्रय करने के लिए पात्रता की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक एनपीएस में जारी	
	रहेंगे। वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु प्राप्त करने पर आप अपनी पसंद की वार्षिकी	
	क्रय कर सकते हैं।	
	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु होने पर निकास के प्रावधान	
	Exit due to death before attaining the age of superannuation	
प्रश्न 27	अभिदाता की अकाल मृत्यु होने पर निकास के क्या प्रावधान है ?	
	वार्षिकीकरण – संचित पेंशन का न्यूनतम 80% मासिक वार्षिकी या पेंशन के लिए प्रयोग होगा।	
	एकमुश्त राशि – संचित पेंशन की शेष 20% राशि अभिदाता के नामिति या विधिक वारिस को भुगतान	



	कर दी जाएगी।
प्रश्न 28	क्या नामिति/यों / विधिक वारिस/सों द्वारा वार्षिकीकरण के बिना सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि निकाली जा
	सकती है ?
	हाँ, यदि अभिदाता की मृत्यु के समय उसकी संचित पेंशन राशि पांच लाख रुपये या उससे कम है।
	हालांकि, इस विकल्प के प्रयोग के बाद कुटुंब के सदस्यों द्वारा किसी भी पेंशन या वार्षिकी या एनपीएस के
	तहत अन्य राशि प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
प्रश्न 29	नामितिकरण अमान्य होने पर क्या होगा ?
	जहाँ अभिदाता की मृत्यु के मामले में निकास के समय, इन विनियमों के अनुसार कोई मान्य नामितिकरण
	न हो, तो उसके नियोक्ता के रिकॉर्ड में स्वीकार्य सीमान्त लाभ प्राप्त करने के लिए दर्ज नामितिकरण, यदि
	कोई हे, को एनपीएस के तहत निकास के लिए नामितिकरण माना जाएगा।
	नियोक्ता अपने रिकार्ड्स में शामिल ऐसे नामितिकरण की पुष्टि एनपीएस न्यास या सीआरए को दावों के
	निश्तारण हेतु भेजेगा।
	हालांकि, यदि नियोक्ता के रिकॉर्ड को देखने के पश्चात् भी मान्य नामितिकरण स्थापित नहीं होता तो ऐसे
	मामलों का निपटान विधिक वारिसों को किया जाएगा।
प्रश्न 30	यदि नियोक्ता की ओर से प्रदान किये जाने वाली पेंशनरी राहत का लाभ उठाया जाता है, तो संचित पेंशन
	राशि का क्या होगा ?
	यदि नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सेवानियमों के तहत या विधिक वारिस प्रमाणपत्र के आधार पर मृतक अभिदाता
	के परिवार के सदस्यों को पेंशनरी राहत प्रदान की जाती है, तो लागू सेवा नियमों के अनुसार अभिदाता के
	संचित पेंशन कोष का कुछ भाग या संपूर्ण भाग को अपने पास समायोजित या मांग करने का अधिकार
	होगा।
	शेष संचित पेंशन राशि, यदि कोई हो तो, एकमुश्त रूप में अभिदाता के नामिति (यों) या विधिक वारिस(सों)
	को भुगतान किया जाएगा।
प्रश्न 31	नियोक्ता द्वारा अभिदाता को लापता घोषित कर देने पर निकास के क्या प्रावधान हैं ?
	अभिदाता के नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों) को संचित पेंशन राशि का 20% अंतरिम राहत के रूप में
	एकमुश्त भुगतान किया जायेगा और संचित पेंशन राशि का शेष 80% का उपयोग, भारतीय साक्ष्य
	अधिनियम 1872 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के तहत अभिदाता को लापता या मृत मान लिए जाने
	पर, अनिवार्य रूप से डिफ़ॉल्ट वार्षिकी क्रय में होगा ।



अन्य निकास के प्रावधान		
	Other exit provisions	
प्रश्न 32	क्या नियोक्ता एनपीएस के तहत संचित पेंशन राशि को रोक सकता है ?	
	हाँ, नियोक्ता के पास संचित पेंशन राशि के उस भाग को जिसे नियोक्ता के रूप में अभिदाता के टियर-।	
	खाते में सह-अंशदान जमा किया गया है और उस पर अर्जित ब्याज़ को, किसी भी आर्थिक नुकसान की	
	पूरी या आंशिक वसूली के उद्देश्य से रोक कर रखने का अधिकार है, बशर्ते इस तरह के नुकसान को	
	सम्बंधित नियोक्ता द्वारा सिद्ध किया गया हो या किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू किया गया हो।	
प्रश्न 33	नियोक्ता एनपीएस के तहत संचित पेंशन राशि को रोकने के अधिकार का प्रयोग कब कर सकता है ?	
	एनपीएस न्यास को अभिदाता की संचित पेंशन राशि को रोकने की सुचना देने के बाद नियोक्ता एनपीएस	
	के तहत संचित पेंशन राशि को रोकने के अधिकार का प्रयोग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व कर	
	सकता हें।	
प्रश्न 34	क्या अभिदाता नियोक्ता द्वारा रोकी गई राशि प्राप्त कर सकता है ?	
	एनपीएस की रोकी गई राशि, अभिदाता को तब तक भुगतान नहीं की जाएगी जब तक विभागीय या	
	न्यायिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष और ऐसी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया	
	जाता है।	
प्रश्न 35	क्या रोकी गई राशि मौजूदा योजना में निवेशित रहेगी या निकाल दी जाएगी ?	
	नियोक्ता द्वारा रोकी गई राशि योजना में उसी तरह निवेशित रहेगी जैसी पद्धति या रीति में रोकने से पहले	
	निवेशित थी।	
प्रश्न 36	रोकी गई राशि का निपटान कब किया जाएगा ?	
	सम्बंधित नियोक्ता द्वारा रोकी गई राशि अभिदाता को भुगतान के लिए अंतिम परिनिर्धारण के बाद देय	
	होगी और इसका भुगतान अभिदाता को जल्द से जल्द निर्धारित विनियमन के अनुशार होगा और किसी भी	
	स्तिथि में एनपीएस न्यास द्वारा अंतिम आदेश की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर शीघ्र अभिदाता को भुगतान	
	कर दिया जाएगा।	
	परन्तु, यदि रोकी गई राशि अभिदाता की मृत्यु के बाद देय होती है, तो अंतिम निपटान पर, लागू नियमों के	
	अनुसार ऐसे अभिदाता के नामिति या विधिक वारिस को भुगतान किया जाएगा।	
	टियर -॥ से निकास के प्रावधान	
	Exit from Tier-II	
प्रश्न 37	टियर-  खाते से निकास करने पर टियर-   खाते का क्या होगा ?	
אמטו	टियर-। खाते से निकास करने पर टियर-॥ खाता भी उसके साथ ही स्वतः बंद हो जाएगा, भले ही इस	
	उद्देश्य के लिए अभिदाता या नामांकित या विधिक वारिस से निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त नहीं हुआ हो, और	
	ज्यूरच चर्नात् जानवाता चा नानावरत चा विवयर वारित ते नावर जावदेन प्राप्त गृहा हुआ हा, और	

Updated on: 30 August 2022



	टियर-॥ खाते के तहत राशि का अभिदाता या नामांकित या विधिक वारिस को भुगतान किया जाएगा ।	
प्रश्न 38	क्या मैं टियर-। खाते को जारी रखने के विकल्प के प्रयोग के बाद टियर-॥ खाते को जारी रख	
	सकता/सकती हूँ ?	
	हाँ, टियर-। खाता बंद होने तक आप अपनी आवश्यकतानुसार टियर-॥ खाता जारी रख सकते हैं।	
प्रश्न 39	मैं टियर-॥ खाते से कितनी बार निकासी कर सकता/सकती हूँ ?	
	आप टियर-॥ खाते से कितनी भी बार निकासी कर सकते हैं।	
प्रश्न 40	मैं टियर-॥ खाते से कितनी राशि निकाल सकता/सकती हूँ ?	
	अभिदाता किसी भी समय सम्पूर्ण संचित राशि या उसका कुछ भाग निकाल सकता है।	
	जब तक खाते में लागू शुल्कों और निकास राशि के भुगतान हेतु पर्याप्त राशि मौजूद है, तब तक निकास	
	कीराशि पर कोई सीमा नहीं होगी।	
	आंशिक प्रत्याहरण (जमा / जारी रखने के दौरान)	
	Partial withdrawal (during accumulation phase)	
प्रश्न 41	क्या मैं निकास से पूर्व अपनी संचित पेंशन राशि में से आंशिक प्रत्याहरण कर सकता/सकती हूँ ?	
	हाँ	
प्रश्न 42	कितनी धनराशि आंशिक प्रत्याहरण में निकाली जा सकती है ?	
	प्राप्त आवेदन की तिथि तक के अनुसार अपने अंशदान का 25% तक (इस राशि पर प्राप्त प्रोत्साहन /िरटर्न	
	राशि शामिल नहीं है)	
प्रश्न 43	मैं कितनी बार आंशिक प्रत्याहरण कर सकता/सकती हूँ ?	
	आपको निकास से पूर्व अधिकतम तीन बार आंशिक प्रत्याहरण करने की अनुमति है।	
प्रश्न 44	मैं कब पहला आंशिक प्रत्याहरण कर सकता/सकती हूँ ?	
	आप सेवा में शामिल होने की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद पहली बार आंशिक प्रत्याहरण कर सकते	
	हैं।	
प्रश्न 45	क्या दो आंशिक प्रत्याहरण आवेदनों के बीच में कोई समय अंतराल निर्धारित किया गया है ?	
	नहीं	
	हालांकि, आपको दो आंशिक प्रत्याहरण के बीच किए गए स्वयं के अंशदान का 25% (इस राशि पर प्राप्त	
	प्रोत्साहन /रिटर्न राशि शामिल नहीं है) तक ही प्राप्त होगा ।	
प्रश्न 46	आंशिक प्रत्याहरण के लिए क्या शर्तें हैं ?	
	आंशिक प्रत्याहरण की स्वीकृति केवल विशिष्ट कारणों में है।	
	(क). अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हें, उच्चतर शिक्षा के लिए ;	
	(ख). अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हें, विवाह के लिए ;	

Updated on: 30 August 2022



(ग). अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पित या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके सन्निर्माण के लिए;

यदि, अभिदाता केपास पहले से पैतृक संपत्ति से भिन्न उसके स्वयं के नाम से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट हैं, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

- (घ). विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए ; यदि, अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पित या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, या आश्रित माता-पिता किसी विनिर्दिष्ट रुग्णता से ग्रस्त हैं, जिसमें निम्नलिखित रोगों के सम्बन्ध में अस्पताल में भर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा :
  - (i) कैंसर ;
  - (ii) गुर्दा की विफलता (अंत चरण रीनल फेल होना);
  - (iii) प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल हाइपरटेंशन;
  - (iv) मल्टीपल एक्लराइओसिस ;
  - (v) प्रमुख अंग प्रत्यारोपण ;
  - (vi) कोरेनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट ;
  - (vii) ओरटा ग्राफ्ट सर्जरी ;
  - (viii) हार्ट वाल्व सर्जरी ;
  - (ix) स्ट्रोक ;
  - (x) मायोकार्डियल इन्फेक्शन ;
  - (xi) कोमा ;
  - (xii) टोटल ब्लाइंडनेस (पूर्ण रूप अन्धता) ;
  - (xiii) पेरालेसिस (लकवा) ;
  - (xiv)गंभीर/जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना ;
  - (xv) जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली कोई अन्य गंभीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (ड). अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु
- (च). अभिदाता द्वारा कौशल विकास/ पुनः कौशल या अन्य कोई स्व-विकास क्रियाकलापों के खर्चीं के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो।
- (छ). अभिदाता द्वारा स्व-उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरुआत करने हेतु खर्चों को के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो।

## अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न एसजी और एसएबी क्षेत्र के लिए एनपीएस से निकास

Updated on: 30 August 2022



प्रश्न 47	यदि मैं निर्दिष्ट बीमारी के कारण अपना आंशिक प्रत्याहरण आवेदन जमा करने में असमर्थ होता हूँ, तो क्या
	प्रक्रिया होगी ?
	ऐसे अभिदाता के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा निकास का अनुरोध जमा किया जा सकता है।
	नामितिकरण
	Nomination
प्रश्न 48	क्या एनपीएस में नामितिकरण अनिवार्य है ?
	हाँ
प्रश्न 49	किसे नामित किया जा सकता हैं ?
	यदि नामितिकरण के समय अभिदाता का परिवार है, तो नामितिकरण उसके परिवार के किसी एक या
	उससे ज्यादा सदस्यों के पक्ष में किया जा सकता हैं।
प्रश्न 50	एनपीएस के तहत नामितिकरण के प्रयोजन के लिए परिवार / कुटुंब की परिभाषा क्या है ?
	विनियम में जहां कहीं भी नामांकन प्रदान किया गया हैं;
	(क). पुरुष अभिदाता के सम्बन्ध में उसकी विधितः विवाहित पत्नी, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या
	अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत होगा ;
	(ख). किसी महिला अभिदाता के सम्बन्ध में उसका विधितः विवाहित पति,  उसके बालक, चाहे
	विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक
	अभिप्रेत होगा;
	(ग). किसी भी ऐसे अभिदाता के सम्बन्ध में जो पुरुष या महिला के रूप में अपनी पहचान नहीं रखता
	है, उसका विधितः विवाहित पति या पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उनके आश्रित
	माता-पिता और उनके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे ;
	स्पष्टीकरण – उपरोक्त तीनों दशाओं में यदि किसी अभिदाता के, यथास्थिति, बच्चों या यथास्थिति
	अभिदाता के मृतक पुत्र के बच्चे का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और यदि
	दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन दत्तक ग्रहण वैध रूप से मान्यताप्राप्त है तो ऐसे
	बच्चे को अभिदाता के कुटुंब से यथा अपवर्जित समझा जाएगा।
प्रश्न 51	यदि मेरे द्वारा मेरा परिवार / कुटुंब होने के बावजूद, कुटुंब से बाहर के किसी व्यक्ति को नामित किया
	जाता है तो क्या होगा ?
	ऐसा कोई भी नामितिकरण, जो आपके परिवार / कुटुंब सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य के पक्ष में किया
	जाता है तो ऐसा नामितिकरण अमान्य होगा और आपको (अभिदाता को) अपने परिवार / कुटुंब से
	सम्बंधित नया नामितिकरण करना होगा ।

## अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न एसजी और एसएबी क्षेत्र के लिए एनपीएस से निकास

Updated on: 30 August 2022



प्रश्न 52	यदि नामिति की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो नामिति की मृत्यु जाती है, तो क्या होगा ?
	ऐसा नामितिकरण समाप्त हो जाएगा / मान्य नहीं होगा और अभिदाता को पुनः नामितिकरण करना होगा।
प्रश्न 53	क्या मैं एक से अधिक व्यक्ति को नामित कर सकता हूँ और नामितियों के बीच संचित पेंशन राशि का
	प्रतिशत क्या होगा ?
	हाँ, आप एक से अधिक नामिति को नामित कर सकते हैं और आपको अपनी संचित पेंशन राशि का
	आवंटन प्रतिशत नामितियो में ऐसे निर्धारित करना होगा कि ऐसे निर्धारण का कुल योग 100% हो।
प्रश्न 54	क्या विवाह के पश्चात् नया नामितिकरण करना अनिवार्य है ?
	हाँ, अभिदाता द्वारा विवाह के पश्चात् नया नामितिकरण करना होगा।
प्रश्न 55	यदि मैंने विवाह के पश्चात् नया नामितिकरण दर्ज नहीं किया तो मेरे नामितिकरण का क्या होगा, ?
	विवाह से पूर्व किया गया नामितिकरण अमान्य होगा और आपको नामितिकरण दोबारा करना होगा।
प्रश्न 56	यदि मेरा कोई परिवार नहीं है, तो किसे नामित कर सकता/सकती हूँ ?
	यदि नामितिकरण के समय आपका कोई परिवार/कुटुंब नहीं है, तो नामितिकरण किसी भी व्यक्ति या
	व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है, लेकिन यदि बाद में आपका परिवार बनता हैं, तो ऐसा नामितिकरण
	अमान्य होगा और आपको अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामितिकरण करना
	होगा।
प्रश्न 57	क्या मैं नाबालिग को नामित कर सकता/सकती  हूँ ?
	हाँ, नामितिकरण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नाबालिंग के पक्ष में किया जा सकता है।
	इसके अतिरिक्त, अभिदाता अपने परिवार से एक बड़े व्यक्ति को वह नाबालिंग के संरक्षक के रूप में
	नियुक्त कर सकता है, उस स्थिति में जब अभिदाता की मृत्यु नामिति या संरक्षक से पूर्व हो जाती है।
प्रश्न 58	क्या मैं नाबालिग नामिति के लिए किसी भी व्यक्ति को संरक्षक के रूप में नियुक्त कर सकता हूँ ?
	हाँ, यदि परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है।
प्रश्न 59	मैं कितनी बार नामितिकरण में बदलाव कर सकता हूँ ?
	आप जितनी बार चाहे उतनी बार नामितिकरण में बदलाव कर सकते हैं।
वार्षिकी/ पेंशन (मासिक या आवधिक भुगतान)	
Annuity / Pension (monthly or periodical pay out)	
प्रश्न 60	वार्षिकी क्या है ?
	वार्षिकी का अर्थ है, वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP) द्वारा अभिदाता के चयन के अनुसार निर्दिष्ट अंतराल पर
	अभिदाता को देय भुगतानों/लाभों की श्रृंखला।
	वार्षिकी का प्रमुख उद्देश्य अभिदाता को सेवानिवृत्ति/कार्यशील आयु के पश्चात् नियमित आय प्रदान करना
	है।



प्रश्न 61	एनपीएस के तहत डिफॉल्ट वार्षिकी क्या है ?
	डिफॉल्ट वार्षिकी संविदा में अभिदाता को जीवन के लिए वार्षिकी और उसका पति या पत्नी (यदि कोई हो)
	के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता और उसके
	पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय
	कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके
	अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक कुटुंब के सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुंब के सदस्यों
	को पुनः जारी की जाएगी :
	(क). मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता ;
	(ख). मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।
	ऊपर विनिर्दिष्ट ऐसे कुटुंब के सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत या राशि जो कि वार्षिकी क्रय
	करने हेतु उपयोजित की जानी थी, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर, अभिदाता के
	विधिक वारिस(सों) को, जो भी मामला हो, वापस कर दी जाएगी।
प्रश्न 62	डिफॉल्ट वार्षिकी की गैर उपलब्धता की स्थिति में क्या विकल्प होंगे?
	किसी भी कारण से डिफॉल्ट वार्षिकी की गैर उपलब्धता की स्थिति में, अभिदाता को प्राधिकरण द्वारा
	सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से प्रदत्त वार्षिकी प्रकारों या अनुबंध में से किसी एक वार्षिकी का चयन
	करना होगा।
प्रश्न 63	क्या डिफॉल्ट वार्षिकी का चयन अनिवार्य है ?
	डिफॉल्ट वार्षिकी का चयन अनिवार्य नहीं है। अभिदाता के पास डिफॉल्ट वार्षिकी के विकल्प से बाहर
	आने का (डिफॉल्ट वार्षिकी का चयन न करना) और अभिदाता को प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा
	प्रदाताओं से प्रदत्त वार्षिकी प्रकारों या अनुबंध में से किसी एक वार्षिकी का चयन करना होगा।
	हालांकि, मृत्यु या लापता व्यक्ति के मामले में डिफॉल्ट वार्षिकी का चयन अनिवार्य है।
प्रश्न 64	क्या एनपीएस के तहत निकास के समय वार्षिकी क्रय करना अनिवार्य है ?
	हाँ, कुछ परिदृश्यों को छोड़कर जहां अभिदाता / नामिति / विधिक वारिस सम्पूर्ण संचित पेंशन राशि को
	वापस ले सकते हैं। (जैसे उपर के प्रश्नों में बताया गया हैं।)
प्रश्न 65	एनपीएस के तहत पीएफआरडीए द्वारा कौन सी कम्पनियाँ वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के
	लिए सूचीबद्ध हैं ?
	पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से वार्षिकी क्रय करना होगा । 14 सूचीबद्ध वार्षिकी
	सेवा प्रदाताओं की सूची निम्नानुसार है :
	(क). आदित्य बिरला सन लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(ख). बजाज एलियांज लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(ग). कैनरा एचएसबीसी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड



	(घ). एडेलविस टोकियों लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(ड). एचडीएफसी लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(च). आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ़ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
	(छ). इण्डियाफर्स्ट लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(ज). कोटक महिंद्रा लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(झ). भारतीय जीवन बीमा निगम
	(ञ). मैक्स लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(ट). पीएनबी मेटलाइफ़ इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(ठ). एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(ड). स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	(ढ). टाटा एआईए लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	* सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपीज़) में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए, आपसे अनुरोध है
	कि पीएफआरडीए की वेबसाइट देखें।
प्रश्न 66	60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व निकास के मामले में, वार्षिकी कब शुरू होगी अर्थात् तत्काल या
	अधिवर्षिता की आयु के बाद ?
	किसी भी वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा वार्षिकी की शुरुआत अपेक्षित न्यूनतम आयु के बाद तत्काल शुरू हो
	जाती हैं।(यह वार्षिकी सेवा प्रदाता और वार्षिकी योजना के चयन पर निर्भर हैं अर्थात् आयु 30, 35, 38)
	अभिदाता / नामिति / विधिक वारिस को अधिवर्षिता की आयु तक इंतज़ार करने की जरुरत नहीं हैं।
प्रश्न 67	एनपीएस के तहत उपलब्ध वार्षिकी विकल्प / प्रकार क्या हैं ?
	उपलब्ध सभी प्रकारों में से निम्नलिखित सबसे सामान्य विकल्प / प्रकार हैं :
	<ul><li>(क). आजीवन वार्षिकी और मृत्यु होने पर क्रय मूल्य (वार्षिकी सेवा प्रदाता को दी गई राशि)</li></ul>
	की वापसी – अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद
	वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा । किन्तु, नामिति / विधित वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी
	कर दी जाएगी।
	(ख). 5, 10, 15 या 20 वर्षों तक गारंटिड वार्षिकी और उसके बाद आजीवन वार्षिकी -
	गारंटी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर – अभिदाता को तब तक वार्षिकी प्राप्त होगी जब
	तक वह जीवित है और उसके बाद शेष गारंटिड अवधि के बाद वार्षिकी नामिति को गारंटिड
	अवधि के अंत तक के लिए प्रदान की जाएगी और इसके पश्चात् यह समाप्त/बंद हो जाएगी।
	किन्तु, क्रय मूल्य की वापसी नामितियों/विधिक वारिसों को नहीं की जाएगी।
	गारंटी अविध के बाद मृत्यु होने पर— अभिदाता को गारंटिड अविध की समाप्ति के बाद भी
	आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा। अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान

Updated on: 30 August 2022



बंद हो जाता है। किन्तु, नामितियों/विधिक वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी।

- (ग). **आजीवन वार्षिकी** अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । किन्तु, नामितियों/विधित वारिसों को क्रय मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी।
- (घ). **3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ती आजीवन वार्षिकी** अभिदाता को वार्षिकी का भुगतान 3% प्रतिवर्ष की साधारण दर से बढ़ते हुए तब तक भुगतान किया जाएगा जब तक कि वह जीवित है, और अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा । किन्तु, नामितियों/विधित वारिसों को क्रय मृत्य की वापसी नहीं की जाएगी ।
- (ड). अभिदाता को आजीवन वार्षिकी और अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 50% के प्रावधान के साथ आजीवन वार्षिकी -

अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और अभिदाता की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को वार्षिकी का 50% आजीवन भुगतान किया जाएगा । जीवनसाथी की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है।

यदि पति या पत्नी की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा ।

यह ध्यान रखे कि इस वार्षिकी को क्रय मूल्य की वापसी के साथ या क्रय मूल्य की वापसी के बिना लिया जा सकता है।

(च). अभिदाता को आजीवन वार्षिकी और अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 100% के प्रावधान के साथ आजीवन वार्षिकी -

अभिदाता को आजीवन वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और अभिदाता की मृत्यु के बाद पित/पत्नी को वार्षिकी का 100% आजीवन भुगतान किया जाएगा । जीवनसाथी की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है।

यदि पति या पत्नी की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो अभिदाता की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा ।

यह ध्यान रखे कि इस वार्षिकी को क्रय मूल्य की वापसी के साथ या क्रय मूल्य की वापसी के बिना लिया जा सकता है।

- \*अभिदाता उपर्युक्त प्रकारों में से किसी में भी जीवनसाथी को जोड सकता है।
- \*\* सभी वार्षिकी सेवा प्रदाता सभी विकल्प / प्रकार उपलब्ध नहीं कराते । यह एक वार्षिकी सेवा प्रदाता और दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाता से भिन्न हो सकता है ।
- \*\*\* वार्षिकी का मूल्य एक वार्षिकी सेवा प्रदाता और दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाता से भिन्न हो सकता है।



प्रश्न 68	क्या वार्षिकी में निवेशित राशि वापस प्राप्त होगी ?
	केवल उन वार्षिकी प्रकारों में जहाँ क्रय मूल्य (वार्षिकी सेवा प्रदाता को दी गई राशि) की वापसी का
	प्रावधान है।
प्रश्न 69	मैं वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध किए जाने विभिन्न वार्षिकी प्रकारों के मूल्य को कहाँ देख सकता
	हूँ ?
	वार्षिकी दरों का विवरण और अन्य विवरण सीआरए की वेबसाइट [कम्प्यूटर एज़ मैनेजमेंट सर्विसेज
	लिमिटेड, केफिनटेक्नोलोजी लिमिटेड और प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉज़ीज लिमिटेड] और सम्बंधित
	सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
प्रश्न 70	क्या मैं किसी भी समय अपना वार्षिकी सेवा प्रदाता या वार्षिकी प्रकार बदल सकता/सकती हूँ ?
	एक बार कोई वार्षिकी क्रय करने के बाद, किसी अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाता या अन्य वार्षिकी योजना में
	रद्दीकरण या पुनर्निवेश के विकल्प की अनुमित नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा
	निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न हो, जैसा कि फ्रीलुक अवधि के लिए वार्षिकी अनुबंध की शर्तों के तहत या
	विशेष रूप से बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है ।
एनपीएस के तहत निकास पर कर प्रावधान	
Tax provisions at withdrawals under the NPS	
प्रश्न 71	निकास पर क्या कर लाभ उपलब्ध हैं ?
	टियर – ।
	एकमुश्त निकास - सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर निकास के मामले में, एकमुश्त निकासी
	अर्थात् कुल संचित पेंशन राशि का 60% कर मुक्त है।
	वार्षिकी - सेवानिवृत्ति की आयु पर वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग की जाने वाली राशि कर मुक्त
	है। किन्तु, वार्षिकी से प्राप्त आय (पेंशन) पर अभिदाता को उस पर लागू कर स्लैब के अनुसार कर
	देना होगा ।
	<i>आंशिक प्रत्याहरण</i> – इसके अंतर्गत कर्मचारी को मिलने वाली रकम पर कर मुक्त है।
1	